

2013 का विधेयक सं.31

**कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरस्थापित किया जायेगा)

कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 7 जून, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं.14 की धारा 8 का संशोधन.-** कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"8. निरीक्षण.-** (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और, उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।"

**3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं.14 की धारा 11 का संशोधन-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"11. कुलपति-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा -

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी ।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलक्षियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी ।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा ।

(6) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी।

(7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये ।

(8) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसमें वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(9) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक व्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"

**4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 35 का संशोधन।**- मूल अधिनियम की धारा 35 के विद्यमान उपबंध को उसकी उप-धारा (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी। अर्थातः-

^^ (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।^^।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

1/4i½ विद्यमान उप-धारा (2) और (3) क्रमशः उप-धारा (4) और (5) के रूप में पुनःसंख्यांकित की जायेंगी;

1/4ii½ विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

^^ (2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और बजट बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।''; और

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

^^ (6) विश्वविद्यालय] संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।''।

6. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 9) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या

किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच अच्छा सांमजस्य रहा है किन्तु यदा कदा कुछ ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों को, जबकि वे प्रशासनिक या वित्तीय मामलों तक सीमित हों, तब भी अनदेखा कर दिया जाता है।

साथ ही, ऐसा कोई भी सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय अनुशासन या प्रशासनिक नीतियों का अनुसरण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर है।

अतः विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता बनाये रखने और बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक वातावरण बनाने के लिए कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की कुछ धाराओं को संशोधित करने और उसमें कुछ नये उपबंध जोड़ने का विनिश्चय किया गया था, अर्थात्, कुलाधिपति की निरीक्षण की शक्तियां, कुलपति की नियुक्ति की पद्धति, लेखे और संपरीक्षा और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय मामलों में जांच।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 7 जून, 2013 को कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 9) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 10 जून, 2013 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वकृत अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. दयाराम परमार,  
प्रभारी मंत्री।

## प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 और 5, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, क्रमशः प्रस्तावित धारा 11(3) के अधीन कुलपति की अन्य परिलिंग्धियां, और प्रस्तावित धारा 44(2) के अधीन ऐसी तारीख, जिससे पूर्व आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार किया जायेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और व्यौरे के विषयों से संबंधित है।

डॉ. दयाराम परमार,  
प्रभारी मंत्री।

**कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003**  
**(2003 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण ।**

XX            XX            XX            XX            XX            XX

**8. निरीक्षण-** (1) राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेशित करे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर्ताओं का और विश्वविद्यालय द्वारा चलायी जाने वाली किसी भी संस्था का निरीक्षण करवा सकेगी और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में ऐसी ही रीति से जांच करवा सकेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय को, निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय का नोटिस देगी और विश्वविद्यालय को प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हक होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम के प्रति निर्देश से बोर्ड को पत्र लिख सकेगी और विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में ऐसी सलाह दे सकेगी जो वह देना चाहे।

(4) बोर्ड, राज्य सरकार को ऐसी कार्रवाई की संसचून देगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या उसने की है।

(5) यदि बोर्ड, उचित समय के भीतर-भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है तो राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा दिये गये किसी भी स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति के अनुमोदन से, ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(6) ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप निरीक्षण की और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखी जायेगी।

XX            XX            XX            XX            XX            XX

11. कुलपति:- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की सलाह से, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा:-

- (i) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;
- (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (iii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद्;
- (iv) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलपति, राज्य सरकार द्वारा यथा-अवधारित वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण कोई स्थायी रिक्ति हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार अस्थायी व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा कोई अस्थायी रिक्ति हो जाये, या जब कोई अस्थायी व्यवस्था उप-धारा (4) के अधीन आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) उप-धारा (1) से उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की सलाह से, तीन वर्ष से अनधिक के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो सरकार अवधारित करे।

(7) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिन पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(8) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

XX            XX            XX            XX            XX            XX

**35. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा।**- यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

XX            XX            XX            XX            XX            XX

#### **44. लेखे और संपरीक्षा।**- (1) XX            XX            XX            XX

(2) ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा विहित रीति से की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(3) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

XX            XX            XX            XX            XX            XX

**THE UNIVERSITY OF KOTA (AMENDMENT) BILL, 2013**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A  
Bill**further to amend the University of Kota Act, 2003.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the University of Kota (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 7<sup>th</sup> June, 2013.

**2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 14 of 2003.**- For the existing section 8 of the University of Kota Act, 2003 (Act No. 14 of 2003), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“8. Visitation.**- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he or she may direct—

- (a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or
- (b) of any institute, institution or hostel maintained by the University; or
- (c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or
- (d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.”.

**3. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 14 of 2003.**- For the existing section 11 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“11. Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon the

recommendation of a Selection Committee consisting of -

- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
- (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government, and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave,

suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the function of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.”.

**4. Amendment of section 35, Rajasthan Act No.**

**14 of 2003.**- The existing provision of section 35 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (2) thereof and before sub-section (2) so renumbered the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.”.

**5. Amendment of section 44, Rajasthan Act No.**

**14 of 2003.**- In section 44 of the principal Act,-

(i) the existing sub-sections (2) and (3) shall be renumbered as sub-sections (4) and (5) respectively;

(ii) after the existing sub-section (1) the following new sub-sections shall be inserted, namely:-

“(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the budget for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the budget prepared by the Comptroller shall be placed before the Board for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.” ; and

(iii) after sub-section (5) so renumbered the following new sub-section shall be added, namely:-

“(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.”.

**6. Repeal and savings.**- (1) The University of Kota (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 9 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

There has been good harmony between the Universities and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.

Also, there is no enabling provision through which Universities can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it had been decided to amend some sections and to add new provisions i.e. visitation powers of Chancellor, method of appointment of Vice-Chancellor, accounts and audit and enquiry in the financial matters by the State Government in the University of Kota Act, 2003.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the University of Kota (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 9 of 2013) on 7<sup>th</sup> June, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 10<sup>th</sup> June, 2013.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार,  
**Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED  
LEGISLATION**

Clauses 3 and 5 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 11 (3) and the date before which budget for the ensuing year shall be prepared under the proposed section 44 (2) respectively.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

डॉ. दयाराम परमार,  
**Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE UNIVERSITY OF KOTA  
ACT, 2003  
(Act No. 14 of 2003)**

**XX            XX            XX            XX            XX            XX**

**8. Visitation.-** (1) The State Government may cause an inspection to be made by such person or persons, as it may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipments and of any institution maintained by the University and to cause an enquiry to be made in like manner in respect of any other matter connected with the administration and finances of the University.

(2) The State Government shall, in every case, give to the University notice of its intention to inspect or make an enquiry and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or enquiry.

(3) The State Government may address the Board with reference to the result of such inspection and enquiry and tender such advice as the State Government may offer regarding the action to be taken by the University.

(4) The Board shall communicate to the State Government such action as it proposes to take or has taken as a result of such inspection or enquiry.

(5) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, it may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue with approval of the Chancellor such directions as it may deem fit and the Board shall be bound to comply with such directions.

(6) The report of the inspection and of the directions issued by the State Government as a result of such inspection shall be laid on the table of the house of the State Legislature.

**XX            XX            XX            XX            XX            XX**

**11. Vice-Chancellor.**— (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of—

- (i) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
- (ii) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
- (iii) one educationist nominated by the Chancellor;
- (iv) two persons nominated by the State Government;

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1) and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the functions of the office of the Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to sub-section (5), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the State Government may determine.

(7) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

XX            XX            XX            XX            XX            XX

**35. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.**- If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

XX            XX            XX            XX            XX            XX

**44. Accounts and audit.**- (1) xx        xx        xx        xx

(2) Such accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(3) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

XX            XX            XX            XX            XX            XX



(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

प्रदीप कुमार शास्त्री,  
विशिष्ट सचिव।

(डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री)

**THE UNIVERSITY OF KOTA (AMENDMENT) BILL, 2013**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

---

*A*

*Bill*

*further to amend the University of Kota Act, 2003.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

PRADEEP KUMAR SHAstry,  
**Special Secretary.**

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)